परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 3 मार्च 2015 पर आधारित है।

ADB

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	8 मार्च 14
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	13 नवम्बर 14

परियोजना का नाम	ओशियन स्पार्कल विस्तार परियोजना
ऋणी/इक्विटी निवेश नाम	
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	47941-001
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र	परिवहन
उपक्षेत्र	जल परिवहन (गैर–शहरी)
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास (ईएसजी) समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी) क्षेत्रीय एकीकरण (आरसीआई)
परिवर्तन के प्रेरक	भागीदारियां (पीएआर) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	संवर्ग 4 : कोई लैंगिक तत्व नहीं (एनजीई)
परियोजना प्रायोजक	ओशियन स्पार्कल लिमिटेड

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
निजी क्षेत्र	–	लाइबोर आधारित ऋण	यूएस$ 35,300
निजी क्षेत्र	–	स्थानीय मुद्रा ऋण	यूएस$ 286,968
–	–	–	–
योग			**–**

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू

ओएसएल की पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) में एक एकीकृत सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) सम्मिलित है, जो आईएसओ 9001:2000, आईएसओ 14001:2004 मानकों तथा ओएचएसएएस 18001 पर आधारित है। सामान्य प्रचालनों के तहत, ओएसएल की गतिविधियों का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव नगण्य होता है। पर्यावरण संबंधी प्रमुख जोखिम दुर्घटनाओं से जुड़े होते हैं। नौचालक नौवहन क्षेत्र में सुरक्षित नौचालन की मुख्य कड़ी होते हैं और एक छोटी सी गलती का परिणाम जहाज के पलटने, तेल बिखरने एवं टकराने और उसके फलस्वरूप जीवन और पर्यावरण दोनों को क्षति हो सकती है। जब राज्य और बंदरगाह अधिकारी नौवहन उपलब्ध कराते हैं, तब सेवा के मानक ऊंचे होने की आशा की जाती है, चूंकि नौचालकों का चयन निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है तथा जहाज की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ओएसएल उच्च स्तर के नौचालक भी उपलब्ध करा रही है। ओएसएल के परिचालन के दौरान संचार के लिए मैनुअल्स तथा दुर्घटनाओं के लिए मैनुअल्स हैं। ओएसएल के अपने प्रचालनों के लिए नियमित स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम और सुविधा मौजूद है।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

ओएसएल के परिचालन के लिए किसी भूमि अधिग्रहण अथवा भू उपयोग संबंधी अस्वैच्छिक प्रतिबंधों की आशा नहीं की जाती है। ओएसएल द्वारा बंदरगाहों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा में नौजहाजों का प्रावधान, प्रचालन और अनुरक्षण सम्मिलित है तथा ये सभी बंदरगाह कॉम्प्लेक्स की चारदीवारी के भीतर किया जाना है। बंदरगाह प्राधिकरणों के साथ ओएसएल की संविदाओं में सामान्यतः कार्यालय स्थान का प्रावधान होता है, जबकि चालकदल के आवास की व्यवस्था जहाजों पर की जाती है।

स्वदेशी लोग

ओएसएल के प्रचालन सदैव बंदरगाह सुविधाओं के भीतर होते हैं। स्वदेशी लोगों पर प्रभाव की आशा नहीं की जाती है।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

–

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान –

विवरण

इस ऋण से ओशियन स्पार्कल लिमिटेड (ओएसएल) के पूंजीगत व्यय और विस्तार योजनाओं का आंशिक वित्तपोषण होगा, जो भारत में एक अग्रणी बंदरगाह परिचालक तथा प्रबंधन सेवाप्रदाता है, जिसके बेड़े में फिलहाल 104 से अधिक बोट हैं तथा जो भारत के 25 छोटे बड़े बंदरगाहों पर आवधिक आधार पर "टेक–ऑर–पे ऑफ–टेक" संविदाओं के साथ मौजूद है।

उद्देश्य और संभावनाएं

प्रस्तावित वित्तपोषण से अगले दो वर्ष के लिए ओएसएल के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना के निधीयन में सहायता प्राप्त होगी। इस योजना में भारत के बंदरगाहों और अन्य दक्षिण एशियाई बाजारों में तैनाती के जहाजों के अधिग्रहण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। सभी जहाज अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्राप्त किए जाने की आशा है। अधिग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया जहाज का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्रमबद्ध की जाएगी और 24 माह के भीतर पूरी की जाएगी। इन जहाजों से बंदरगाहों की दक्षता बढ़ेगी जहां ओएसएल अधिक प्रतिस्पर्द्धी निजी रूप से संचालित बंदरगाह नौकर्षण, नौबन्ध और नौचालन कार्यों के माध्यम से परिचालन करती है।

परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

प्रस्तावित वित्तपोषण एडीबी की रणनीति 2020 के साथ सुसंगत है, चूंकि यह (i) इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश द्वारा निर्यात–नीत विकास को प्रोत्साहन देता है ; (ii) संयोजकता और क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ाता है ; तथा (iii) एशिया में बंदरगाह सेक्टर में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। भारत कंट्री भागीदारी रणनीति (सीपीएस) (2013–2017) में भारत में तीव्र विकास हेतु सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सात मूल क्षेत्रों में परिवहन तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वित्तपोषण पर विशेष जोर दिया गया है। यह परियोजना विशेषकर गैर–स्वायत्त कार्यों के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सहायता तथा बंदरगाह विकास के संबंध में सीपीएस प्राथमिकता क्षेत्रों के भी अनुरूप है। यह परियोजना एडीबी की स्थायी परिवहन पहल के भी अनुरूप है जो क्षेत्रीय सहयोग तथा एकीकरण खंड के अंतर्गत अविश्वसनीय यात्रा समय, सीमा पार करने संबंधी विलम्ब, घटिया टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण संचालन तथा भंडारण लागतों से जुड़ी अप्रत्यक्ष लागतों जैसी व्यापार विकास बाधाओं के संबोधन के महत्व को रेखांकित करता है।

विकास प्रभाव

–

आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
बंदरगाह परिचालन की क्षमता का विस्तार पर्यावरण तथा	–

सुरक्षोपाय मानकों का अनुरक्षण	
विकास परियोजनाओं की स्थिति	**कार्य/निर्माण की स्थिति**
–	–
महत्वपूर्ण परिवर्तन	
–	

व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	–
परामर्शी सेवाएं –	
प्रापण और परामर्शी सूचनाएं	

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	27 जनवरी 14
तथ्य–अन्वेषण	28 फरवरी 2014
प्रबंध समीक्षा बैठक	1 सितम्बर 14
अनुमोदन	24 अक्टूबर 14

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक

सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	()
जिम्मेदार एडीबी विभाग	निजी क्षेत्र परिचालन विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त प्रभाग 1

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/47941-001/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/47941-001/documents